हमने उपयोगिता और पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यदि आप पहुंच-योग्यता संबंधी समस्याओं का अनुभव करते हैं, तो कृपया. [engagement@ndiscommission.gov.au](mailto:engagement@ndiscommission.gov.au). पर संपर्क करें

# SAFEGuard Quarterly Newsletter

**अंक 4: वसंत 2021**

**विकलांगों, आपके मित्रों, परिवार, अधिवक्ताओं और समुदाय के लिए एक समाचार पत्र।**

कृपया इस न्यूजलेटर को अपने नेटवर्क में विकलांगों के साथ साझा करें - उदाहरण के लिए, यदि आप एक NDIS प्रदाता या कार्यकर्ता हैं जो विकलांग व्यक्ति का समर्थन करते हैं, या विकलांग व्यक्ति के वकील, अभिभावक, मित्र या परिवार के सदस्य हैं।

## कोविड -19 टीकाकरण

टीका लगवाने से आपके स्वास्थ्य और आपके आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी NDIS प्रतिभागी COVID-19 वैक्सीन के लगवा सकते हैं।

आप टीकाकरण करवाने के बारे में अपने NDIS प्रदाता से बात कर सकते हैं, या टीकाकरण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने या उपस्थित होने के लिए उनसे मदद माँग सकते हैं।

हमने सभी पंजीकृत एन डी आई एस प्रदाताओं को COVID-19 और टीकाकरण के बारे में सटीक और सुलभ जानकारी तक पहुँचने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखा है, साथ ही यदि आपको ऐसा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है तो टीकाकरण कराने में आपकी सहायता करने के लिए लिखा है।

आप टीकाकरण के बारे में अपने जी पी या डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, [Department of Health’s COVID-19 Vaccine Clinic Finder](https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en) या 1800 020 080 पर राष्ट्रीय कोरोना वायरस और COVID-19 टीकाकरण हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

**यदि आपको COVID-19 वैक्सीन बुक करने में सहायता की आवश्यकता है या COVID-19 के बारे में मुफ्त, तथ्य-जांच की गई जानकारी और सलाह की आवश्यकता है - डिसेबिलिटी गेटवे** [**Disability Gateway**](https://ndisqualityandsafeguardscommission.createsend1.com/t/t-l-ctrlrky-l-y/) **वेबसाइट पर जाएं या 1800 643 787 पर कॉल करें। डिसएबिलिटी गेटवे फोन लाइन सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8 बजे से 8 बजे एईडीटी तक उपलब्ध है।**

जिन लोगों को अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में जानकारी की आवश्यकता है, वे अनुवाद और दुभाषिया सेवा को 131 450 पर कॉल कर सकते हैं, और डिसेबिलिटी (विकलांगता) गेटवे से जुड़ने के लिए कह सकते हैं।

जो लोग बहरे हैं या सुनने या बोलने में अक्षम हैं, वे नेशनल रिले सर्विस को 1800 555 677 पर कॉल कर सकते हैं और डिसेबिलिटी गेटवे से कनेक्ट होने के लिए कह सकते हैं।  
टीकाकरण के बारे में अधिक जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट [Department of Health website](https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/information-for-service-providers-workers-and-people-with-disability-about-covid-19-vaccines/information-for-people-with-disability-about-covid-19-vaccines) पर भी उपलब्ध है, जिसमें [Easy Read](https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-easy-read-resources) और ऑस्लान [Auslan](https://www.health.gov.au/resources/collections/covid-19-vaccination-videos-auslan) संसाधन शामिल हैं।

## एन डी आई एस कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण

सभी NDIS प्रदाताओं और कर्मचारियों को दृढ़ता से टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह आपका अधिकार है कि आप उन कार्यकर्ताओं की मांग करें, जिनको टीका लगाया गया है।

कुछ राज्यों और क्षेत्रों ने अपने कार्यकर्ताओं, जिसमें विकलांग कार्यकर्त्ता भी शामिल हैं, के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। आप हमारी वेबसाइट में विकलांगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण के पेज पर [COVID-19 vaccine information for people with disability](https://www.ndiscommission.gov.au/participants/coronavirus-vaccine-information-people-disability) इन आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

## अपने कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण कैसे प्राप्त करें

आपको इस बात के प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है कि आपने अपना कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त लिया है। आप अपने टीकाकरण का प्रमाण दिखाने के लिए एक कोविड-19 डिजिटल प्रमाणपत्र या अपना टीकाकरण इतिहास विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

सर्विसेज़ ऑस्ट्रेलिया [Services Australia](https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof) वेबसाइट में ऑनलाइन खाता सेट करने में मदद करने के लिए कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, जिससे आप अपने टीकाकरण के प्रमाण प्राप्त और संग्रहीत कर सकें।

यदि आप ऑनलाइन प्रमाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका टीकाकरण प्रदाता आपके लिए आपके टीकाकरण इतिहास विवरण को प्रिंट कर सकता है।

आप ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर को 1800 653 809 पर भी कॉल कर सकते हैं और उन्हें अपना टीकाकरण इतिहास विवरण या COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र आपको भेजने के लिए कह सकते हैं। पोस्ट से आपका स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट आने में 14 दिन तक का समय लग सकता है।

आप अपने NDIS प्रदाता से अपने टीकाकरण का प्रमाण प्राप्त करने में मदद करने के लिए भी कह सकते हैं।

## एन डी आई एस आचार संहिता - व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान

[सेफगार्ड के शीतकालीन 2021 संस्करण में, हमने प्रतिबद्धता जताई है कि हम भविष्य के प्रत्येक संस्करण में NDIS Code of Conduct](https://www.ndiscommission.gov.au/participants/ndis-code-conduct) एन डी आई एस आचार संहिता के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

NDIS आचार संहिता नियमों का एक समूह है, जो बताता है कि आपके प्रदाताओं और कर्मचारियों को आपकी सहायता करते समय कैसे कार्य करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षित हैं, उन्हें क्या करने की आवश्यकता है।

इस संस्करण में, हम पहले नियम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो यह है कि आपके प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं को **प्रासंगिक कानूनों और परपराओं के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और निर्णय लेने के व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में कार्य करना चाहिए।**

आपको अपने स्वयं के निर्णय लेने, अपने द्वारा चुने गए जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होने और समुदाय के किसी अन्य सदस्य के समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है।

इसका मतलब यह है कि यदि आप वयस्क हैं और विकलांग हैं, तो आपको कोई भी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त होनी चाहिए और आपको यह चुनने का अधिकार है कि कौन इस निर्णय लेने में आपकी सहायता करे और कौन नहीं।

जहाँ भी संभव हो कार्यकर्ताओं को सीधे आपके साथ काम करना चाहिए। उन्हें आपसे इस बारे में पूछना चाहिए कि आप किसे, यदि कोई हो तो, अपनी सेवाओं और सहायताओं के बारे में निर्णयों और चर्चाओं में शामिल करना चाहते हैं।

यदि आपका कोई कानूनी अभिभावक है, तो कार्यकर्ताओं को उन निर्णयों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, जिनमें उन्हें आपके कानूनी अभिभावक को शामिल करने की आवश्यकता है। हालांकि, कार्यकर्ताओं का फिर भी यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि वे निर्णय लेने के लिए आपकी बात सुनें और आपको सहयोग देने में सक्षम हों।

बच्चों और युवाओं के लिए परिवारों की भी अहम भूमिका होती है। प्रारंभिक वर्षों में, कार्यकर्ताओं को बच्चे के गुणों, रुचियों और जरूरतों को समझने के लिए परिवारों के साथ काम करना चाहिए और उनकी देखभाल की भूमिका में उनकी सहायता करनी चाहिए। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, वे निर्णय लेने में अधिक शामिल होंगे। श्रमिकों को बच्चों और युवाओं को उन निर्णयों में शामिल करना चाहिए जो उनकी उम्र और विकास के चरण के लिए उपयुक्त तरीके से उन्हें प्रभावित करते हों।

अगर आपको लगता है कि कोई इन नियमों का पालन कर नहीं कर रहा है, तो आप हमसे शिकायत कर सकते हैं [complain to us](https://www.ndiscommission.gov.au/about/complaints).

## समर्थित आवास के पहलुओं की जांच

समर्थित आवास सेवाओं के संबंध में रिपोर्ट करने योग्य घटनाओं और शिकायतों की जांच के लिए हमने हाल ही में एक नई जांच [new inquiry](https://www.ndiscommission.gov.au/document/3266) शुरू की है।

जांच हमारे एक्टिंग कमिश्नर द्वारा शुरू की गई थी और यह उन प्रदाताओं की एक छोटी संख्या पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में समर्थित आवास के बड़े प्रदाता हैं।

जांच समर्थित आवास में होने वाले मुद्दों और घटनाओं में प्रवृत्तियों की पहचान करेगी, और उन कारकों की पहचान करेगी जो उन्हें प्रेरित कर सकते हैं।

यह समर्थित आवास के वितरण के लिए मॉडल की पहचान भी करेगा जो सर्वोत्तम अभ्यास प्रदर्शित करता है और विकलांग लोगों के लिए बेहतर और सुरक्षित समर्थित आवास सेवाएं प्रदान कर सकता है।

श्री आर्थर रोजर्स पी एस एम को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। आप उसके बारे में और हमारी वेबसाइट [website](https://www.ndiscommission.gov.au/document/3266) पर पूछताछ के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं।

## आपके साथ प्रभावी संचार का समर्थन करना

प्रभावी संचार आपके जीवन के बारे में निर्णय लेने के आपके अधिकार और विकल्प चुनने और नियंत्रण रखने का समर्थन करता है । NDIS कार्यकर्ताओं का NDIS आचार संहिता के तहत एक दायित्व है कि वे लोगों को स्वयं को अभिव्यक्त करने, उनकी बात सुनने और सुरक्षित रहने के लिए समर्थन दें और सक्षम करें।

NDIS कार्यकर्ताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए - NDIS प्रतिभागियों के दृष्टिकोण से - प्रभावी संचार का सर्वोत्तम समर्थन कैसे करें, हमने NDIS कार्यकर्ताओं के लिए एक नया ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित किया है।

मॉड्यूल दर्शाता है कि प्रभावी संचार कैसा दिखता है, और यह कैसे पसंद और नियंत्रण का समर्थन करता है। यह विकलांग लोगों और NDIS प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं सहित इस क्षेत्र के परामर्श से साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया गया था।

मॉड्यूल मुफ़्त है और किसी के लिए भी उपलब्ध है, इसे पूरा होने में लगभग 60-90 मिनट लगते हैं। मॉड्यूल पर उपलब्ध है <https://www.ndiscommission.gov.au/workers/supporting-effective-communication>

## आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर प्रतिभागियों के लिए नए संसाधन

हमारा प्रतिभागी सूचना पैक [Participant Information Pack](https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651) और NDIS आचार संहिता पोस्टकार्ड [NDIS Code of Conduct postcards](https://www.ndiscommission.gov.au/document/1361) अब विशेष रूप से आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर विकलांग लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए नए संस्करणों में उपलब्ध हैं।

नए संसाधनों को एक आदिवासी-स्वामित्व वाली कंपनी ने आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों और NDIS कार्यकर्ताओं के परामर्श से विकसित किया था। इनमें एक आदिवासी कलाकार द्वारा बनाए गए डिजाइन और विकलांग लोगों और आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की छवियां शामिल हैं।

संसाधन आपके अधिकारों की व्याख्या करते हैं, गुणवत्ता युक्त और सुरक्षित सहायता कैसे चुनें, और हमसे शिकायत कैसे करें। आप हमारी वेबसाइट [website](https://www.ndiscommission.gov.au/document/2651) पर नए संसाधन पा सकते हैं।

## प्रदाताओं के लिए सहायता को सुरक्षित बनाने के लिए नए मानक

NDIS अभ्यास मानकों और गुणवत्ता संकेतकों [NDIS Practice Standards and Quality Indicators](https://www.ndiscommission.gov.au/document/986) में संशोधन किया जा रहा है ताकि एन डी आई एस प्रदाताओं के लिए नई आवश्यकताओं को शामिल किया जा सके, जिसमें विकलांग लोगों को गंभीर डिस्पैगिया सहायता (निगलने में कठिनाई), भोजन के समय सहायता, और आपात स्थिति और आपदाओं के दौरान सहायता की आवश्यकता सम्मिलित हैं, जैसे COVID-19 महामारी।

NDIS आचार संहिता के साथ, NDIS अभ्यास मानक [NDIS Code of Conduct](https://www.ndiscommission.gov.au/providers/ndis-code-conduct) एन डी आई एस प्रतिभागियों की सेवा प्रावधान की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनकी उन्हें पंजीकृत NDIS प्रदाताओं से अपेक्षा करनी चाहिए। पंजीकृत प्रदाताओं को संहिता और अभ्यास मानकों को पूरा करना आवश्यक है।

नए भोजन समय प्रबंधन और गंभीर डिस्पैगिया प्रबंधन अभ्यास मानकों के लिए प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि एन डी आई एस प्रतिभागियों को सही तरीके के पौष्टिक भोजन उपलब्ध हैं और उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए उपयुक्त तरीके से वितरित किया गया है। गंभीर डिस्फेगिया प्रबंधन के लिए एक नया उच्च प्रभावशाली कौशल विवरणक भी होगा, जो कार्यकर्ताओं द्वारा अधिक कठिनाई वाले खाने और पीने में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान के प्रकारों का वर्णन करता है।

नया आपातकालीन और आपदा प्रबंधन अभ्यास मानक वर्तमान COVID-19 महामारी, या भविष्य की आपात स्थितियों या आपदाओं, जैसे बुश फायर या बाढ़ के दौरान NDIS प्रतिभागियों के स्वास्थ्य, भलाई और सुरक्षा को बनाए रखने में पंजीकृत NDIS प्रदाताओं के दायित्वों को निर्धारित करेगा।

नए NDIS अभ्यास मानक और गुणवत्ता संकेतक, विकलांग लोगों, NDIS प्रदाताओं, अकादमिक और अन्य उद्योग विशेषज्ञों, और राज्य और क्षेत्र सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के परामर्श से विकसित किए गए हैं।

आप नए NDIS अभ्यास मानकों और गुणवत्ता संकेतकों [NDIS Practice Standards and Quality Indicators](https://www.ndiscommission.gov.au/document/986) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जब वे हमारी वेबसाइट पर लागू होते हैं।

## नए सकारात्मक व्यवहार समर्थन (बिहेवियर सपोर्ट) संसाधन

विकलांगों के लिए सकारात्मक व्यवहार समर्थन के बारे में अधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए अब नए संसाधन [resources](https://www.ndiscommission.gov.au/resources/telepbs) उपलब्ध हैं।

टेली पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट (TelePBS) दूर से समय पर और गुणवत्तापूर्ण व्यवहार सहायता सेवाएं प्रदान करने का एक तरीका है। इसका उपयोग इन सकारात्मक व्यवहार सहायता सेवाओं तक आपकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है, यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो COVID-19 प्रतिबंधों से प्रभावित है या यदि आप ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं।

नए संसाधन बताते हैं कि TelePBS क्या है। उनका उपयोग यह तय करने में आपकी मदद करने के लिए किया जा सकता है कि क्या TelePBS आपके लिए सही है और आप TelePBS का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में अपने व्यवहार समर्थन प्रदाता से बात करें। आप हमारी वेबसाइट [website](https://www.ndiscommission.gov.au/resources/telepbs) पर नए संसाधन पा सकते हैं।

**एन डी आई एस आयोग से कैसे संपर्क करें**

आप हमें 1800 035 544 पर कॉल कर सकते हैं। यह लैंडलाइन से निःशुल्क कॉल है। हमारा संपर्क केंद्र सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5.00 बजे तक (NT में सुबह 9 बजे से शाम 4.30 बजे तक) खुला रहता है।

वैकल्पिक रूप से, आप एक ईमेल भेज सकते हैं [contactcentre@ndiscommission.gov.au](mailto:contactcentre@ndiscommission.gov.au)

**शिकायत करने के तरीके**

अगर आप हमसे शिकायत करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं:

* कॉल करें: 1800 035 544 (लैंडलाइन से मुफ्त कॉल) या TTY 133 677 दुभाषियों की व्यवस्था की जा सकती है।
* राष्ट्रीय रिले सेवा [National Relay Service](https://www.communications.gov.au/accesshub/) का उपयोग करें और 1800 035 544 के लिए पूछें।
* एक ऑनलाइन शिकायत संपर्क [complaint contact form](https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-OCF) **फ़ॉर्म भरें।**

**हमारा अनुसरण करें**

**LinkedIn**: [www.linkedin.com/company/ndiscommisson](http://www.linkedin.com/company/ndiscommisson)

**Facebook:** [www.facebook.com/NDISCommission](http://www.facebook.com/NDISCommission)

**इस न्यूज़लेटर की सदस्यता लें**

यदि किसी ने आपको यह ईमेल अग्रेषित किया है, लेकिन आप चाहेंगे कि भविष्य में हम इसे सीधे आपको भेज दें, तो आप सदस्यता फॉर्म [subscription form](https://confirmsubscription.com/h/t/7CB3E6736CB42F1C) भरकर सदस्यता ले सकते हैं।